वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की प्रासंगिकता और भारतीय सुरक्षा चुनौतियाँ

बृजेश सिंह*

एम. ए. (राजनीति विज्ञान), राजनीति विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा, भारत

Email ID: *brijesh6597@gmail.com*

Accepted: 14.03.2022 **Published**: 01.04.2022

मुख्य शब्दः परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि।

शोध आलेख सार

हथियारों के विकास की अन्तिम परिणति 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अविश्कृत परमाणु बम के रूप में दृष्टिगोचर हुई, जब अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रथम बार इसका प्रहार किया। इस महाविनाशक शक्ति को प्राप्त करने हेतु तत्कालीन महाशक्ति सं0रा0 अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य "आर्म्सरेस" प्रारम्भ हो गयी। देखते–देखते विश्व मे नाभिकीय अस्त्रों के विशाल भण्डार एकत्रित हो गये। आज विश्व के अनेक देशों के अस्त्रागारों मे इन संहारक आयुधों का इतना विशाल भण्डार एकत्र है कि उससे अनेक नाभिकीय युद्ध लड़े जा सकते हैं। नाभिकीय राष्ट्र आज भी इन आयुधों के परीक्षण मे लगे हुए हैं, साथ ही परमाणु विहीन राष्ट्र इसे किसी भी दशा में प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति मे आवश्यक है कि नाभिकीय अस्त्रों के निर्माण एवं उत्पादन पर अविलम्ब रोक लगाना मनुष्य तथा प्राणिमात्र के हित में है। आणविक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद परमाणु हथियारों के निर्माण व परीक्षणों पर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक प्रयास भी हुए। इस दृष्टि से महाशक्तियों द्वारा परपाणु अप्रसार सन्धि (N.P.T.) तथा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (C.T.B.T.) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत ने सी0टी0बी0टी0 को एक ऐसी सन्धि के रूप में स्थापित करने पर बल दिया, जो सभी परमाणु परीक्षणों पर मजबूती से प्रतिबन्ध लगा सके, जिससे परमाणु शक्ति सम्पन्न देश भी अपने स्थलों तथा प्रयोगशालाओं मे परमाणु हथियारों को परिष्कृत और विकसित न कर सके, अन्यथा यह सन्धि मात्र परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध सन्धि बन कर रह जायेगी। भारत का मूल उद्देश्य आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं प्रद्यौगिकी विकास शांतिपूर्ण एवं प्रजातान्त्रिक ढाँचे मे रहते हुए करना है। इसके लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शांतिपूर्ण हो क्योंकि शांति व स्थायित्व के अभाव मे यह प्रभावित हो सकती है। भारत का प्रयास यह होगा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्व की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को सहयोग प्रदान करते हुए एक सकारात्मक

भूमिका से न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं समान वैश्विक व्यवस्था बने।

पहचान निशान

**Corresponding Author*

–परिचय–

20वीं शताब्दी की घटनायें विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद साम्राज्यवादी प्रमुख शक्ति ब्रिटेन की शक्ति क्षीण हुई तथा नाभिकीय शक्ति सम्पन्न संयुक्त राज्य अमेरिका का अभ्युदय हुआ। सन् 1949 ई0 में सोवियत संघ रूस नाभिकीय हथियारों से शक्ति सम्पन्न हुआ। स0रा0 अमेरिका एवं सोवियत रूस की सैन्य शक्ति/राजनीतिक शक्ति नाभिकीय हथियारों की दौड़ के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध प्रारम्भ हुआ। सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्र–मुख्यतः दो खेमों–अमेरिका एवं सोवियत रूस में बँट गये। विश्व के अनेक देशों मे सशस्त्र संघर्ष युद्ध हुए। इन लगभग तीन सौ युद्धों मे दोनो महाशक्तियाँ–अमेरिका एवं सोवियत रूस अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। इन सभी संघर्षो युद्धों में अमेरिका एवं सोवियत रूस का कभी भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र व्यापक संहारक हथियार (W.M.D.) नाभिकीय हथियारों से सुसज्जित थे। नाभिकीय हथियारों का महत्व समर भूमि में "ब्रह्मास्त्र" के रूप में दिनांक 6 अगस्त सन् 1945 हिरोशिमा एवं 9 अगस्त 1945 ई0 नागासाकी जापान में द्वितीय विश्वयुद्ध में देखा जा चुका था। शीत युद्धकाल के दौरान नाभिकीय हथियारों के व्यापक संहारक क्षमता (नाभिकीय भयादोहन) ने मनोवैज्ञानिक भयादोहन राजनैतिक हथियार के रूप में प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में गम्भीर निरस्त्रीकरण वार्ताओं के बाद सन् 1963 ई0 सं0रा0 अमेरिका, ब्रिटेन व सोवियत संघ के बीच आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि सम्पन्न हुई। भारत उपरोक्त तीन नाभिकीय शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के साथ हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राष्ट्र था। नाभिकीय निरस्त्रीकरण हेतु सर्वप्रथम भागीरथी प्रयास भारत ने ही प्रारम्भ किया था।

आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (Partial Test Ban Treaty) 10 अक्टूबर सन् 1963 ई0 से प्रभावी– इसका मूल सार नाभिकीय बमों के भूमिगत परीक्षणों को छोड़कर सभी परीक्षणों को प्रतिबन्धित किया गया। इसका उद्देश्य रेडियोधर्मिता विकिरण को रोकना पर्यावरण एवं मानव सुरक्षा केन्द्रित थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य नाभिकीय शक्ति सम्पन्न देशों की मंशा नाभिकीय शक्ति प्रसार को प्रतिबन्धित करने की थी।

अमेरिका व सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध समाप्त विश्वयुद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ रूस के बीच जो वैचारिक संघर्ष चला, उसे शीत युद्ध कहा गया। इस शीत युद्ध का प्रमुख कारण अमेरिका का गोपनीय नाभिकीयकरण व आपसी विश्वास था।[1] उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकार वादी साम्यवादी–सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे।राजनैतिक सर्वोच्चता ने शक्ति प्रतिस्पर्धा–सैन्यीकरण मे एक प्रमुख घटक

नाभिकीय हथियार दौड़ प्रारम्भ हुई। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 ई0 को न्यूमैक्सिको के अलामोगारदों मे पहला परमाणु बम परीक्षण किया।[2] अमेरिकी नीति निर्माताओं को इस नाभिकीय हथियारों के धारण करने का राजनीतिक लाभ दिखाई दिया।[3]

अमेरिका के नाभिकीय हथियार क्षमता की बराबरी सोवियत संघ रूस ने 26 अगस्त 1949 को उत्तरी साइबेरिया में नाभिकीय विस्फोट कर पुष्टि की। अमेरिका नाभिकीय क्षमता को सोवियत संघ रूस के नाभिकीय विस्फोट के बाद ब्रिटेन ने 3 अक्टूबर 1952 को आस्ट्रेलिया मे प्रथम नाभिकीय बम विस्फोट किया। यूरोप में नाभिकीय प्रसार बढ़ा, फ्रांस ने सहारा रेगिस्तान के रेगरने नामक स्थल पर 13 फरवरी 1960 को नाभिकीय बम का परीक्षण किया। अमेरिका–सोवियत संघ रूस के शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप नाभिकीयकरण बढ़ा, चीन ने 16 अक्टूबर 1964 ई0 को लोपनार में नाभिकीय परीक्षण किया। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप एशिया मे भी नाभिकीय आशंकायें प्रबल होने लगी, अन्य एशिया के देशों के साथ भारत जो सन् 1962 मे भारत–चीन युद्ध में पराजय एवं अपना कुल भू भाग लद्दाख एवं पूर्वी क्षेत्र नेफा मे खो चुका था, अन्यन्त भयाक्रान्त हुआ। सन् 1990 ई0 के बाद पूर्वी यूरोप एवं सोवियत संघ से साम्यवाद समाप्त हो गया। सोवियत संघ रूस तथा पूर्वी यूरोप मे साम्यवाद की समाप्ति आर्थिक असफलता तथा संकट के कारण हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति में सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति मिखाईल गोर्बाचेव को लोकतन्त्र तथा शांति स्थापना का मुख्य श्रेय है।

<u>भारत द्वारा परमाणु परीक्षणः–</u> 11 मई 1998 को पोखरण मे भारतीय वैज्ञानिकों ने पाँच परीक्षण किये जिनमे 1974 के समान प्लूटोनियम प्रकार के एवं हाइड्रोजन बम सम्बन्धी परीक्षण शामिल थे। 13 मई को वैज्ञानिको ने दो और परीक्षण किये इन परीक्षणों से भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु तकनीकी एवं अस्त्र निर्माण के सम्बन्ध मे नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त हुई और प्रयोगशाला में कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षण की क्षमता अर्जित की गई। इन परीक्षणों को "वैज्ञानिकों द्वारा भारत को दिया गया वरदान" माना। इस परीक्षणों पर तीव्र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियायें व्यक्त की गई। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड ने कठोर रूख अपनाते हुए अपने राजदूत वापस बुलवा लिए। जापान ने भारत को दिया जाने वाला 26 मिलियन डॉलर का अनुदान स्थगित कर दिया। जर्मनी ने सभी प्रकार की विकास सहायता बन्द कर दी। चीन ने स्पष्ट रूप से भारत को यह चेतावनी दी कि वह बड़ी शक्ति की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास न करे। अमेरिका ने 143 मिलियन डॉलर की सहायता रोक दी और भारत पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिया। रूस के नीति निर्माताओं के लिए भारत के ये परीक्षण सुविधाजनक थे। इसकी अधिकारिक प्रतिक्रिया में परीक्षणों पर गहरा खेद प्रकट किया गया और भारत से यह आग्रह भी किया गया कि वह सी0टी0बी0टी0 पर हस्ताक्षर कर दे। लेकिन रूस भारत पर आर्थिक प्रतिबन्ध का विरोधी रहा।[4] देश के भीतर मिश्रित प्रतिक्रियायें व्यक्त की गई। कांग्रेस ने परीक्षण के समय पर आपत्ति जतायी तो वामपंथी दलों ने इन परीक्षणों का विराध किया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि आम

सहमति की धारणा खण्डित हुई। लेकिन आंतरिक क्षेत्र में विरोध के स्वर का प्रमुख कारण इन परीक्षणों की गोपनीयता थी। विदेश कार्यालय, रक्षा सम्बन्धी नौकरशाह और राजनीतिज्ञ सभी इन घटनाओं से अनभिज्ञ थे। इसके फलस्वरूप जब परीक्षण सम्पन्न हुआ तो देश का अभिजन मानसिक रूप से तैयार नहीं था। वैसे परमाणु शक्ति सम्पन्न भारत के पक्ष में आम सहमति थी।

विश्व के सुरक्षा स्त्रातजिक स्थितियों मे विशेषकर एक ध्रवीय विश्व व्यवस्था का उभरना, आतंकवाद व वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव एवं उससे जनहित समस्याओं से भारतीय सुरक्षा के सम्मुख गम्भीर चनौतियाँ है। एशिया में तीव्र नाभिकीय प्रसार के नवीन गम्भीर आयाम है। इन परिस्थितियों मे भारत के लिए विकल्प हेतु निम्न प्रकार स्थितियाँ थी–

(क) पाकिस्तान ने नाभिकीय हथियार बना लिया था दूसरे शब्दों में नाभिकीय हथियारों के निर्माण की क्षमता प्राप्त कर चुका था।

(ख) यह आवश्यक नही था कि वह अपने नाभिकीय हथियारों का परीक्षण करता।

(ग) पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों के मामले मे द्वेधवृत्ति की नीति अपना रहा था।

(घ) भारत के पास परमाणु क्षमता थी।

(च) भारत ने नाभिकीय बम नही बनाया था, परन्तु व ऐसा करने का अपना विकल्प खुला रखना चाहता था, यदि आवश्यकता पड़े तो उनका निर्माण किया जा सके।

इन विषम परिस्थितियों की चुनौतियो का सामना करने के तीन प्रमुख विकल्प भारत के पास थे :–

1. भारत के पास नाभिकीय क्षमता है, परन्तु परमाणु हथियार नही बनायेगें पर नीतिगत रूप से कायम रहना।
2. नाभिकीय हथियारों के निर्माण की धारणा को छोड़, परमाणु अप्रसार सन्धि (N.T.P.) पर हस्ताक्षर कर भारत के सभी नाभिकीय संयन्त्रों को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोल देना।
3. नाभिकीय बम हथियार बनाकर उसकी घोषणा कर देने की नीति–

   तत्कालीन परिस्थितियों का देखते हुए भारत ने भी पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम का ठोस विकल्प खोजना शुरू कर दिया था। इसकी स्पष्ट भावना तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के इस वक्तव्य मे दिखाई देती है कि "हम भारत के किसी भी शहर को हिरोशिमा नहीं बनने देगें"।[5]

परमाणु युग में युद्ध राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का साधन नहीं रह गया है और राष्ट्रों के बीच नियमित युद्धों की संभावना नही है फिर भी सैन्य सर्वोच्चता की रणनीति पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्देशक सिद्धान्त है।[6] विश्व की बड़ी शक्तियाँ बाध्यकारी कूटनीति के साधन के रूप में परमाणु अस्त्रों के उपयोग या इसकी धमकी को अपनी रणनीति के रूप में अपनाती है। रूस और नाटो संगठन इन अस्त्रों के प्रथम प्रयोगकर्ता न होने के प्रति बचनबद्ध होना नही चाहते। चीन भी सीमित निवारण क्षमता का पक्षधर है। संक्षेप में वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे परमाणु अस्त्रों की भूमिका मे वृद्धि हुई।

एक लम्बे अर्से तक भारत की नीति "परमाणु विकल्प खुला रखने" की रही। 1990 के दश कमे भारत पर परमाणु अप्रसार व्यवस्था को स्वीकार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दबाब पड़ने लगा और अब भारत के लिए यह संभव नही रह गया कि वह अपनी पूर्ववर्ती नीति पर कायम रहे। 1974 के बाद भारत ने कोई परमाणु परीक्षण नही किया इसके फलस्वरूप यदि भारत परमाणु अप्रसार की शर्तों को स्वीकार कर लेता तो भारत का परमाणु विकल्प समाप्त हो जाता और भारत सदा के लिए इस क्षेत्र में पीछे रह जाता।

व्यापक परमाणु प्रतिरोध संधि (C.T.B.T.) का उद्देश्य सामान्य तौर पर परमाणु शस्त्रों के अप्रसार पर रोक लगाना था। लेकिन इसका विशेष उद्देश्य भारत को नियन्त्रित करना पड़ता था। इस सन्धि मे यह प्रावधान रखा गया कि यह सन्धि तभी लागू होगी जब भारत इस पर हस्ताक्षर कर दे और इस हेतु सितम्बर 99 की समय सीमा निर्धारित थी। इस समय सीमा के बाद इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की स्थिति मे भारत को सामूहिक कार्यवाही एवं प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत को परमाणु परीक्षण का निर्णय लेना पड़ा।[7] परमाणु अस्त्रों के अप्रसार के सम्बन्ध मे भारत की नीति आम सहमति पर आधारित रही और इसने कभी भी परमाणु भेदभाव को स्वीकार नही किया और यही कारण है कि परमाणु अस्त्रों पर कुछ राष्ट्रों के आधिपत्य को कायम रखने तथा इसके औचित्य को सिद्ध करने वाली परमाणु अप्रसार संधि (N.P.T.) पर भारत ने हस्ताक्षर नही किया। पुनः 1995 मे परमाणु अप्रसार के सम्मेलन मे परमाणु भेदभाव को वैधता प्रदान करने की कोशिश की गई और यह भी स्पष्ट हो गया कि परमाणु शक्ति से रहित राष्ट्र परमाणु एकाधिकार वाले विश्व व्यवस्था को नियन्त्रित करने की स्थिति मे नही है इस स्थिति मे भारत पुनः स्पष्ट एवं स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाते हुए इस तरह की भेदभाव वाली व्यवस्था को मानने से इन्कार कर दिया। भारत ने मई 1998 मे तृतीय परमाणु परीक्षण सम्पन्न किया। यह उल्लेखनीय है कि इन विस्फोटों से भारत किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि या समझौते का उल्लघन नही किया। यह प्रश्न स्वभाविक है कि भारत द्वारा परमाणु विस्फोट के पीछे कौन सी बाध्यतायें थी। 1990 के दशक मे भारत की सुरक्षा सम्बन्धी खतरे और चुनौतियाँ ज्यादा गंभीर हो गई। वैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे किसी राष्ट्र के सम्पूर्ण आधिपत्य के उद्देश्य से युद्ध संभावना नही है। किसी राष्ट्र की संप्रभुता या प्रादेशिक अखंडता पर सैनिक झड़प या निम्न तीव्रता वाले संघर्ष ही महत्वपूर्ण खतरे हैं, जिनके पूर्ण युद्ध की संभावना नही रहती लेकिन इनका समाधान ज्यादा जटिल होता है

भारत परमाणु अप्रसार का प्रबल समर्थक राष्ट्र रहा है लेकिन नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न– पी–5 राष्ट्रों ने अप्रसार संधि तथा व्यापक परीक्षण रोक संधि (C.T.B.T.) को अपने हितार्थ शर्तों से बनाया। भारत ने एन0पी0टी0 एवं सी0टी0बी0टी0 का इसी भेदभाव पूर्ण आधार होने के कारण विरोध किया। सितम्बर सन् 1994 ई0 मे भारत ने प्रस्तावना के संदर्भ मे यह सुझाव दिया कि नाभिकीय निरस्त्रीकरण और नाभिकीय अस्त्रों को समाप्त करने के बीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए इसमे कहा गया कि अप्रसार और

निरस्त्रीकरण प्रक्रिया को अस्त्र का प्रयोग न करने के करार द्वारा मजबूत बनाया जाना चाहिए। परमाणु अप्रसार नीति हेतु महत्वपूर्ण योगदान आई0ए0ई0ए0 की उन्तालीसवीं आम सभा में ए0ई0सी0 के अध्यक्ष डॉ0 आर0 चिदम्बरम के भाषण से मिलता है उन्होने कहा– "हम सी0टी0बी0टी0 को नाभिकीय निरस्त्रीकरण की ओर उठाया गया एक कदम मानते हैं परन्तु सी0टी0बी0टी0 तब ही सार्थक होगी यदि इसे सभी नाभिकीय अस्त्रों के पूर्ण विनाश के साथ एक सुपरिभाषित, समयबद्ध रूप से जैसे कि अगले दस वर्षों की समय सीमा रख दी जाय सख्ती से जोड़ा जाता है। यह हमारा सुविचारित मत है कि ऐसे निरस्त्रीकरण कानून की सख्त आवश्यकता है जो विश्वव्यापी और भेदभाव रहित हो"।[8]

"हम जानते है कि प्रभावी नाभिकीयकरण की प्रक्रिया के तहत नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण की समाप्ति मानव जाति के हित मे है। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति मे ऐसे अवसर उपलब्ध है जिनमे नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए आगे प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। इसका तरीका समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना तथा उनके ऐसे इरादों को नाकाम करना है।" इसका स्पष्ट आशय यह भी था कि संधि तभी लागू होगी जब सभी पक्षकार एक निश्चित समय के भीतर नाभिकीय अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने के अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान हो।[9]

अन्तर्राष्ट्रीय अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण नाभिकीय नियम स्वीकार न होगें कि पाँच देशों के परमाणु हथियारों को प्राप्त करने के अधिकार को तो मान लिया जाय और अन्य राष्ट्रों को रोका जाय। इतना ही नहीं नाभिकीय अप्रसार के नाम पर सन् 2003 मे इराक पर इतना भीषण हमला अमेरिका ने किया राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अपदस्थ किया। जब कि इराक मे नाभिकीय हथियार नही थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना भर ही पर्याप्त नही है। न्यायसंगत व वास्तविक समाधान यह है कि धरती से परमाणु हथियार पूरी तरह समाप्त किए जाएं। सही अर्थों मे धरती तभी सुरक्षित मानी जायेगी जब वह परमाणु हथियारो से पूरी तरह मुक्त हो।

भारत अपने सुरक्षार्थ पूर्णरूपेण परमाणु सम्पन्न राष्ट्र के रूप मे अपना दर्जा स्वयं विश्व ने स्वीकार किया है तथा इसकी पुष्टि की है, इन परीक्षणों से भावी कम्प्यूटर अनुकरण तथा उपक्रान्तिक परीक्षणों की क्षमता सहित उच्च ऊर्जा भौतिकी तथा परमाणु इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारतीय प्राद्योगिकीय क्षमता के अधुनातन स्तर की पुष्टि होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य भारत ने क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता समीकरणों में संतुलनकारी कारक के रूप मे सामरिक स्थिति प्राप्त कर ली है। पाँच परमाणु राष्ट्रों की कट्टर हठधर्मिता के बावजूद भावी अस्त्र नियन्त्रण और निरस्त्रीकरण की प्रक्रियाओं के लक्ष्य बदल चुके हैं। पक्षपातपूर्ण प्रतिबन्धों पर अनेक प्रश्नचिन्ह लग गये हैं।

रक्षा मन्त्रालय के एक वैज्ञानिक के अनुसार एक परमाणु युक्ति तथा उससे जुड़ी सम्पूर्ण व्यवस्था को विकसित करने मे 6 से 8 महीने लगते हैं।[10] दूसरी प्रमुख समस्या ऐसे नाभिकीय हथियार का लक्ष्य तक पहुँचाने की रही है। इस क्षेत्र मे

अन्तरिक्ष एवं राकेट तकनीक मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र "अग्नि" व "पृथ्वी" नाभिकीय हथियार को वहन करने मे सक्षम है। अस्त्रीय खुले विकल्प की स्थिति से एक अस्त्रधारी है सियत मे आने के बाद भारत को भी अब भविष्य के लिए एक सिद्धान्त और रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। स्वभाविक रूप से यह विकल्प के इस्तेमाल की राजनीतिक आवश्यकता और उस वातावरण की प्रकृति पर आधारित होगा जिससे वह राष्ट्रीय हितों को साध सके। नाभिकीय नीति किन प्रमुख बिन्दुओं से प्रभावित हो, इसके मूल को स्पष्ट करने के लिए फ्रांस व ब्रिटेन के नाभिकीय सिद्धान्त और रणनीति के प्रभावी तत्वों को दृष्टिगत किया जा सकता है जो वस्तुतः मुख्य तत्व थे।[11]

1. नाभिकीय अस्त्रों की लड़ाई लडने वाले सैनिक उपकरण की मान्यता देना, इस तरह प्रतिरोध के सिद्धान्त को सजा के आयाम से बढ़ाकर उसमे वंचना को भी शामिल करना।
2. नाभिकीय अस्त्रों द्वारा सिर्फ नाभिकीय अस्त्रों का ही नही बल्कि पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के प्रयोग के विरूद्ध भी प्रतिरोधक के रूप मे इस्तेमाल।
3. पारस्परिक विनाश की आश्वस्ति को केन्द्रीय अवधारणा मानना।

लेकिन इन तथ्यों के विपरीत चीन ने अपनी नाभिकीय नीति सिद्धान्त इस तथ्य से अभिभूत रखा कि नाभिकीय अस्त्र को शुद्ध सैन्य उपयोगिता के रूप में देखने की बजाय आवश्यक रूप से राजनीतिक उपकरण माना। चीन ने नाभिकीय "भयादोहन" (ब्लैकमेल) और "वर्चस्व" के मुद्दे पर जोर दिया और नाभिकीय अस्त्रों के प्रथम प्रयोग न करने वाले वचन पर कायम रहा। चीन के नाभिकीय सिद्धान्त का सार यह भी रहा कि परमाणु शस्त्रों के विकल्प परमाणु शस्त्र ही होते हैं।

भारत ने यह भी कहा कि वह भविष्य मे कोई भी परीक्षण नही करेगा। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि सी0टी0बी0टी0 और विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण संधि (एम0एम0सी0टी0) सम्बन्धी बातचीत में शामिल होने का इच्छुक है। भारत एक उत्तरदायी परमाणु राष्ट्र के रूप मे अपनी पहचान बना चुका है। भारत शुरू से ही परमाणु अस्त्रों के हस्तान्तरण के खिलाफ रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु हस्तान्तरण की वजह से ही असुरक्षा की भावना तीव्र होती जा रही है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नेताओं द्वारा परमाणु शक्ति की धमकी के बावजूद भारत ने संयम व धैर्य का परिचय दिया। इससे भारत की वचन के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत मिलता है। प्रधानमन्त्री ने सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुये यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जनमत के आधार पर सी0टी0बी0टी0 और एफ0एम0सी0टी0 आदि मुद्दों पर निर्णय लिया जायेगा। इसलिए यह मानने मे कोई दिक्कत नही होनी चाहिए कि पोखरण–2 परीक्षण के बाद भारतीय परमाणु सिद्धान्त का विश्लेषण हर दृष्टि से भारतीय सुरक्षा के यथार्थ को ध्यान मे रखकर किया गया है। इसकी प्रस्तृति व्यवहारिक तक संगत और विरोधाभासों से पूर्णतः रहित है।[12]

मार्च 2000 मे भारत–अमेरिकी सम्बन्धों मे एक बड़ी प्रगति तब हुयी जब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाँच दिन की यात्रा की तथा

भारतीय नेताओं से उच्च स्तरीय वार्तालाप किया। इस अवसर पर दोनो देशों ने अपने सम्बन्धों के भविष्य के प्रति एक साझी सोच बनायी तथा 21वीं शताब्दी मे भारत अमेरिका सहयोग को व्यापक रूप से तथा तेज गति से विकसित करने का निर्णय किया। दोनो देशों ने परमाणु अप्रसार संधि (एन0पी0टी0) व्यापक परीक्षण निषेध संधि (सी0टी0बी0टी0) तथा भारतीय परमाणु शस्त्र नीति के प्रति विद्यमान मतभेदों का अपने सम्बन्धों पर हावी न हाने देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दोनो देशो के नेताओं प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक दृष्टि (Vision Statement) वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये। दोनो देशों मे विज्ञान तथा टेक्नोलोजी क्षेत्र मे सहयोग के सम्बन्ध मे एक समझौता हुआ एवं व्यापार तथा निवेश पर $ 1.4 बिलियन के समझौते, जो भारतीय तथा अमेरिकी कम्पनियों ने सूचना तकनीक, पर्यटन, ऊर्जा तथा वातावरण संरक्षण के सम्बन्ध मे किये गये, इन सबने यह स्पष्ट दिखलाया कि दोनों देशों ने नई शताब्दी मे अपने सम्बन्धों को विकसित करने के लिये एक वास्तविक पहल की थी तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास को एक नई सशक्त आधारशिला दी थी।[13]

भूतकाल में समय–समय पर हुई सम्बन्धों की रूकावटों को देखते हुए कहा गया कि अब दोनो के नये सम्बन्ध वैश्वीकरण के सिद्धान्त पर आधारित थे जो आज सीमाओं को तोड़कर राष्ट्रों, लोगों, अर्थव्यवस्थाओं तथा सभ्यताओं को जोड़ रहा था। नई शताब्दी मे दोनों देशों न सांझे हितों तथा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राप्ति के लिये एक समान उत्तरदायित्व सहित शांति के भागीदार बनना था। हम नियमित परामर्श करेगें तथा एशिया और इसके पार सामरिक स्थायित्व के लिये इकठ्ठे प्रयास करेगें। हम आंतकवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के विरूद्ध बड़े प्रयास करेगें। हम संयुक्त राष्ट्र सहित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली बनायेगें तथा शांति सुरक्षा प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगें। हम स्वीकार करते हैं कि दक्षिण एशिया मे विद्यमान तनाव दक्षिण एशिया के राष्ट्रों द्वारा ही हल किये जा सकते हैं। भारत इस क्षेत्र में सहयोग, शान्ति तथा स्थायित्व मे वृद्धि के प्रति वचनबद्ध है।[14]

व्यापक परमाणु परीक्षण संधि 1996 पर भारत की नीति परमाणु मुक्त विश्व तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण का पक्षधर रहा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि मे भारत अपनी इसी कटिबद्धता के कारण पक्षकार नही बन सका। एन0पी0टी0 एवं सी0टी0बी0टी0 पर हस्ताक्षर न करना क्योंकि ये अपूर्ण एवं भेदभाव पूर्ण संधियां हैं लेकिन भारत सी0टी0बी0टी0 पर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। विश्व स्तर पर परमाणु शस्त्र नियन्त्रण तथा परमाणु निरस्त्रीकरण के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को परमाणु शस्त्र रहित बनाने की माँग का समर्थन कर रहा है।

–सारांश–

"हम जानते हैं कि प्रभावी नाभिकीयकरण की प्रक्रिया के तहत नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण की समाप्ति मानव जाति के हित में है। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति मे ऐसे अवसर उपलब्ध है जिनमे नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए आगे प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। इसका तरीका

समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकना तथा उनके ऐ इरादों को नाकाम करना है"। इसका स्पष्ट आशय यह भी था कि संधि तभी लागू होगी जब सभी पक्षकार, एक निश्चित समय के भीतर नाभिकीय अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने के अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान हों।

सी0टी0बी0टी0 के प्रति भारत की दूसरी आपत्ति यह थी कि संधि मे गैर विस्फोटक परीक्षणों पर ध्यान नही दिया गया है। वास्तविक तौर पर परमाणु परीक्षणों पर वही संधि अपनी प्रकृति में व्यापक होगी जिसमे तीन बातें आवश्यक हों अर्थात–

1. *इसके अन्तर्गत पाँच परमाणु अस्त्रों वाले देशों सहित सभी देश आने चाहिए।*
2. *इसमें भूमिगत परीक्षणों तक परमाणु अस्त्रों के सभी परीक्षण निषेध होने चाहिए।*
3. *यह निषेध हमेशा के लिये होना चाहिए। इसलिए सी0टी0बी0टी0 का उद्देश्य और इसका क्षेत्राधिकार परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों को रोकना होना चाहिए और इससे बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाना चाहिए।*

अतः भारत ने सी0टी0बी0टी0 पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दक्षिण एशिया मे भारत एवं पाकिस्तान घोषित रूप से परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं। दोनों के पास इनती परमाणु क्षमता है कि दक्षिण एशिया व उसके आस–पास के क्षेत्रों के विनाश के लिए पर्याप्त है। नियन्त्रण रेखा पर पाकिस्तान के घृणित कार्य, आतंकवादी गतिविधियाँ, घुसपैठ, तस्करी आदि किसी भी समय भारत–पाक युद्ध के रूप मे परिवर्तित हो सकती है। जो आणुविक हथियारों के प्रयोग की सीमा तक पहुँच सकती है।

भारत का मूल उद्देश्य आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं प्रद्यौगिकी विकास शांतिपूर्ण एवं प्रजातान्त्रिक ढाँचे मे रहते हुए करना है। इसके लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण शांतिपूर्ण हो क्योंकि शांति व स्थायित्व के अभाव मे यह प्रभावित हो सकती है। भारत का प्रयास यह होगा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विश्व की प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को सहयोग प्रदान करते हुए एक सकारात्मक भूमिका से न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं समान वैश्विक व्यवस्था बने।

–सन्दर्भ–

1. *नार्मन एण्ड ग्रेस्लेनार "कोल्डवार ओरिजीन्स एण्ड द कन्टीन्यूयिंग डिबेटः ए रिव्यू आफ लिटरेचर" द जर्नल आफ कन्फ्लीक्ट रिसोल्यूशन वाशिंगटन, मार्च 13, 1969 पृ0 14।*
2. *जान न्यू हाउस "वार एंड इन द न्यूक्लिया एज" एलफ्रेड ए0 नीफ, न्यूयार्क, 1989 पृ0सं0 1–52।*
3. *हर्बर्ट फीस "द एटामिक बम एंड द एंड आफ वर्ल्ड वार 2" प्रिंसटन, एन0 जे0 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1970, पृ0सं0 57।*
4. *बख्शी, ज्योत्सना, "रसियाज पोस्ट–पोखरण डाइलिमा" स्ट्रेटिजिक एनालिसिस नई दिल्ली, अगस्त 98।*
5. *दिनमान, नई दिल्ली, 20–26 अक्टूबर, 1985, पृ0सं0 24।*

6. काक, कपिल, "इंडियाज कन्पेन्शनल डिफेंस" प्राब्लम्स ऐंड प्रास्पेक्ट्स" स्ट्रेटिजिक एनालिसिस नई दिल्ली, फरवरी 99।
7. सिंह, जसजीत, वही, स्ट्रेटिजक एनालिसिस 99।
8. सन् 1995 ई0 में 18 से 25 सितम्बर तक वियना मे हुई आई0ए0ई0ए0 की 39वीं महासभा के प्रतिनिधि मंडल के नेता और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ0 आर चितम्बरम का भाषण पृ0 6।
9. निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन, "एन0टी0बी0 1364, पेपर– 3/496 सी0डी0 का पृ0 63।
10. राज चेंगप्पा, "अन्तरिक्ष के महाबलियों में भारत भी अब शुमार" इण्डिया टुडे, नई दिल्ली, टूडे, 2 मई 2001 पृ0सं0 35।
11. जसजीत सिंह, भारतीय परमाणु शस्त्र (एक नई दिशा) प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2004, पृ0सं0 358।
12. ए0जे0 मजुमदार, न्यूक्लियर इण्डिया इन टू न्यू मिलेनियम लान्सर बुक, नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ–94।
13. के0डी0 कपूर न्यूक्लियर नाम प्रालिफरेशन डिप्लोमेसी, लान्सर बुक, नई दिल्ली, 2005 पृष्ठ– 175।
14. राजबाला सिंह, भारतीय विदेश नीति, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर–2005 पृष्ठ 24।